छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण क्रमांक 240/2007

1. श्री श्रीनिवास पाल, - अपीलार्थी
जनपद सदस्य,
जनपद पंचायत बान्दे, सावेर
विकास खण्ड - कोयलीबेडा,
जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. जन सूचना अधिकारी, - प्रतिअपीलार्थी
कार्यालय सहायक कार्यपालन अभियंता,
ग्रामीण यांत्रिकी सेवा,
जनपद पंचायत, कोयलीबेडा,
जिला- कांकेर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 02 अगस्त, 2007)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री श्रीनिवास पाल ने दिनांक 04.10.2006 को प्रति अपीलार्थी जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था । उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 16.11.2006 को प्रस्तुत की गई थी, किन्तु प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा आयोग के समक्ष दिनांक 19.02.2007 को द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई ।

2/ प्रकरण के रिकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्को का श्रवण किया गया । प्रकरण में जन सूचना अधिकारी को विलंब के लिए 25 हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, जिसका उत्तर जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 06.07.2007 को प्रस्तुत किया गया । अपने उत्तर में जन सूचना अधिकारी ने यह बताया कि जानकारी उनके उप संभाग से संबंधित नहीं थी इसलिए उन्होंने संभागीय कार्यालय को इसकी सूचना दी थी और संभागीय कार्यालय द्वारा उनको फीस की सूचना दिनांक 13.12.2006 को दी गई थी, किन्तु आवेदक ने राशि जमा नहीं की । इसके

पश्चात् उनके द्वारा जानकारी तैयार करके दिनांक 23.07.2007 के पत्र से आवेदक द्वारा बताये गये पते पर तकनीकी सहायक को

भेजा गया, किन्तु श्री पाल वहॉं नहीं मिले, इसके कारण उन्हें जानकारी नहीं मिल सकी । इस संबंध में प्रति अपीलार्थी द्वारा गॉवों के गवाहों का पंचनामा प्रस्तुत किया गया, जिसमें बताया गया कि श्री श्रीनिवास पाल, जनपद सदस्य विगत छः माह से वहॉं निवास नहीं कर रहे हैं और इनका पता नहीं है । मौखिक तर्क में यह भी बताया गया कि जनपद पंचायत की बैठकों में भी उपस्थित नहीं हो रहे हैं । उपरोक्त स्थिति में कारण बताओं सूचना पत्र का उत्तर संतोषजनक होने के कारण यह निरस्त किया जाता है । चूंकि श्री पाल जनपद सदस्य हैं, अतः मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के कार्यालय में उपस्थित होकर वांछित जानकारी स्वयं प्राप्त करें और यह जानकारी निःशुल्क दी जावेगी । मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत भी इस संबंध में सुनिश्चित करेंगे कि सहायक अभियंता/कार्यपालन अभियंता ने वांछित पूर्ण जानकारी प्राप्त कर आगामी जनपद पंचायत की बैठक दिनांक को अथवा अपीलार्थी जनपद सदस्य के उपस्थित होने पर यह जानकारी उन्हें उपलब्ध करायेंगे । यद्यपि किसी अधिकारी की त्रुटि नहीं होने के कारण शास्ति एवं अन्य कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा रही है, किन्तु प्रकरण में अपूर्ण एवं विलंब से जानकारी दिये जाने के कारण अपीलार्थी को हुई मानसिक/आर्थिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से क्षतिपूर्ति के रूप में राशि 250/- रूपये अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त